न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 45/2020 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगणः–

1.रेखाराम पुत्र खेताराम 2.नेनूदेवी पत्नि खेताराम
3.निम्बाराम पुत्र पोलाराम के का.मु. :–
3/1. नवलाराम पुत्र निम्बाराम
4.भूपाराम 5.वीरमाराम 6.हेमाराम पि.पोलाराम
जातियान जाट, निवासी टांका स्टेशन, दीनगढ़
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1.भेराराम 2.रामजीराम पि. भोमाराम
जातियान जाट, निवासी टांका स्टेशन, दीनगढ़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण :– श्री फताराम गोदाराम

वकील विप्रार्थीगणः– श्री हुकमसिंह गोदारा

निर्णय

दिनांक 10.02.2022

प्रार्थीगण रेखाराम पुत्र खेताराम, वगैरा जाति जाट, निवासी टांका स्टेशन, दीनगढ़, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की संखुक्त खाते[illegible] टांका स्टेशन (आलमसर), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 1039/923 रकबा 166.16 बीघा स्थि[illegible] जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 416 रकबा 13.17 बीघा भूमि मौजा टांका स्टेशन में से रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी सं. 1 व 2 को रजि. ए.डी. से नोटिस तथा विप्रार्थी सं. 3 को नोटिस जारी किये गए। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह गोदारा ने वकालतनामा पेश किया तथा विप्रार्थी सं. 3 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। तहसीलदार धनाऊ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। विप्रार्थी सं. 1 व 2 को जवाब पेश करने का अवसर दिया गया।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण के वकील की ओर ब्रिफ होल्डर श्री शाकरखान एच उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण के वकील ने जवाब हेतु और अवसर चाहा। लेकिन जवाब के लिए पर्याप्त समय देने के बावजूद विप्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश नहीं किया, अतः जवाब का अवसर बन्द किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकरन किया । तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	416	13.17	बा.सो.	20 फीट	00.05	टांका स्टेशन	भेराराम, रामजीराम पि. भोमाराम, जातियान जाट, निवासी टांका स्टेशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 416 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द व मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 10.02.2022 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला [illegible] हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) धनाऊ जिला बाड़मेर

दिनांक:- 23/11/21

क्रमांक / भू.अ. / 2021 / 312

प्रेषित :-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
चौहटन

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 45 / 2020 अनवान रेखाराम वगैरा बनाम भेराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए में मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्रांक / राजस्व कोर्ट / 2021 / 1340 / 1340 दिनांक 30.09.2021 के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि, श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन सं. 45 / 2020 अनवान रेखाराम वगैरा बनाम भेराराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए में प्रार्थी रेखाराम पुत्र खेताराम, नवलाराम पुत्र निम्बाराम, भूपाराम पुत्र पोलाराम व हेमाराम पुत्र पोलाराम व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में मौका मुआयना कर मौके पर ही मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट बिन्दूवार निम्न प्रकार हैं :-

(1) प्रार्थीगण को ग्राम टांका स्टेशन के खसरा संख्या 1039 / 923 से सरकारी कटाण मार्ग तक पंहुचने के लिए इसी ग्राम के खसरा संख्या 416 में से होकर गुजरना पड़ता हैं। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

(2) ग्राम टांका स्टेशन के खसरा संख्या 416 रकबा 13.17 बीघा में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 30 गट्ठा और चौड़ाई 03 गट्ठा प्रस्तावित की गई हैं जिससे मार्ग हेतु कुल रकबा 0.05 बीघा बनता हैं। जिसे नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया हैं।

(3) प्रस्तावित रास्ते हेतु ग्राम टांका स्टेशन के खसरा संख्या 416 की डीएलसी दर 28209/- प्रति बीघा हैं।

मौका रिपोर्ट मय नक्शा संलग्न श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेशित हैं।

भवदीय
तहसीलदार (भू.अ.) धनाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मै वीरमदान (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत आलमसर कार्यालय तहसीलदार धनाऊ के आदेश कमांक/भू.अ./2021/141-143 दिनांक :– 02-11-2021 की पालना मे भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 13-11-2021 समय 1:00 P.M. बजे आराजी खसरा नम्बर 416 वाके ग्राम टांका स्टेशन पटवार मण्डल आलमसर पर श्री नन्दलाल पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा ।

समस्त पक्षकरों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक.............. दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे, जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकरों मे से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थेः–

कम सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	रेखाराम	s/. खेताराम	55 वर्ष	जाट	प्रार्थी
2.	नवलाराम	s/o निम्बाराम	39 "	जाट	प्रार्थी
3-	भूपाराम	s/o पोलाराम	72 "	जाट	प्रार्थी
4.	हेमाराम	s/o पोलाराम	67 "	जाट	प्रार्थी

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति मे भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :–

क्रम सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा में)	रास्ते की चौडाई फीट मे	प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट भूमि का रकबा	डीएलसी दर	रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि कि किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भैराराम, रामजीराम पि० भोमाराम जातियान - जाट निवासी - टांका स्टेशन	416	13-17 बीघा	20 फीट	0-05 बिस्वा 30×3 गठ्ठा	28209 ~~1110~~	14105	बारा- ओपन

Ex - Count

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकरों और मौतबिरानों को पढकर सुनायी गई । मौके पर उपसिति पक्षकरो ने पढ,सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :–

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी / अप्रार्थी
1	रेखाराम s/o	खेताराम	जाट	रेखाराम	प्रार्थी
2.	नवलाराम s/o	निम्बाराम	जाट	नवलाराम	प्रार्थी
3.	भूपाराम s/o	पोलाराम	जाट	भूपाराम	प्रार्थी
4.	हेमाराम s/o	पोलाराम	जाट	हेमाराम	प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

निम्न पक्षकरो ने मौका रिपोर्ट पढ,सुन, समझकर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :–

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी / अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्ष करवाये गये:–

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	हस्ताक्षर	पता / मोबाईल नं.
1	सत्यपाल	s/o भूपाराम	42 वर्ष	जाट	[signature]	9928233819
2	प्रकाशचन्द चौधरी	s/o दमाराम	32 वर्ष	जाट	[signature]	9521219105

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

इस प्रकार आज दिनांक 13-11-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

(हस्ताक्षर)
नन्दलाल
पटवारी (भू.अ.) आलमसर
पटवार मण्डल इन्द्रोई

भू अभिलेख निरीक्षक (भू.अ.) धनाऊ

(हस्ताक्षर) वीरमदान
भू. अभिलेख निरीक्षक
वृत आलमसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested

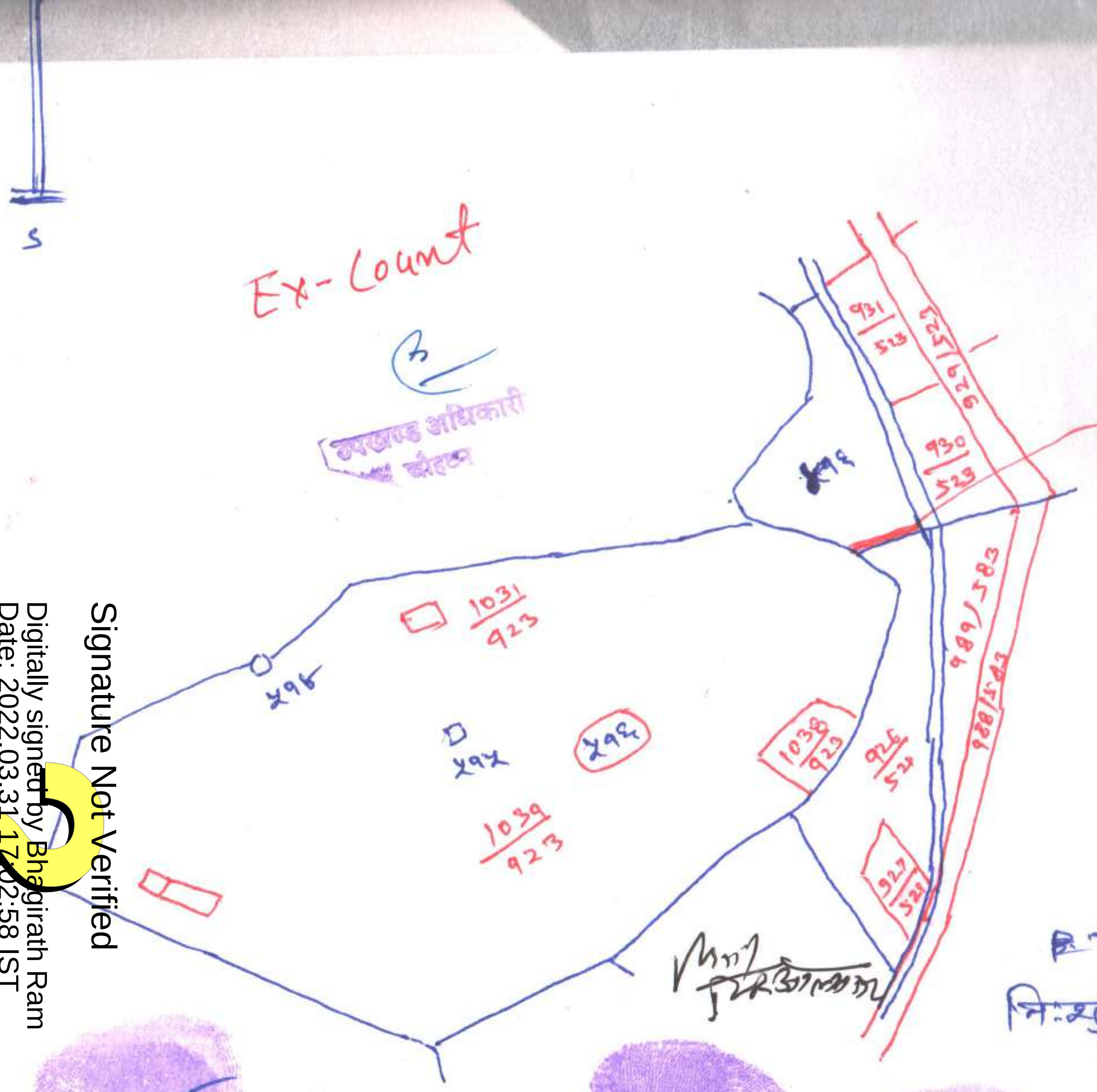

सही प्रतिलिपि
वास्ते राजकीय कार्य हेतु
निःशुल्क जारी।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

13.11.2021
नन्दलाल
पटवारी (भू.अ.) आलमसर
तहसील-चौहटन

तहसीलदार (भू.अ.) धनाऊ

LT खुमाराम
LT भूपाराम
LT इमाम

नन्दलाल
पटवारी (भू.अ.) आलमसर
तहसील-चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:02:58 IST
Reason: SelfAttested